संख्या-33/2016 /2551 सी0डी0/46-3-16-1000(77)/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, नवस्थापित गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक सेवायें/साज-सज्जा/सामग्रियों की विभिन्न मदों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 24.11.2016 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **कार्यसूची संख्या-6** के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, नवस्थापित गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक सेवायें/सामग्रियों की विभिन्न मदों में व्यय हेतु, **इस पत्र के साथ संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार आवंटित की जा रही** धनराशि **रू0 20,00,000/- (रूपया बीस लाख मात्र)** को आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2016 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लें कि गत वित्तीय वर्षों/ चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का शासनादेशों/नियमों में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- नवस्थापित गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय में निर्माण कार्यों को कराने के पूर्व निदेशक, श्री लालबहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0 की अनापत्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी तथा निर्माण कार्यों में व्यय होने वाली धनराशि का समायोजन संस्थान को किराये की मद में भुगतान की जाने वाली धनराशि से कर लिया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से कोई अन्य व्यय वहन नहीं किया जाएगा तथा

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि **संलग्न सूची** में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

7- आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

8- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- आवश्यक उपकरणों के क्रय/कार्यालय प्रयोगार्थ कार्य किराये पर लिये जाने एवं अन्य अनुरक्षण संबंधित क्रय के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा आवश्यकतानुसार शासन का पूर्व अनुमोदन भी अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर) के अधीन लेखा शीर्ष-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301-उ0प्र0 गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे डाला जाएगा।

<u>सलंग्नकः-यथोपरि।</u>

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-33/2016 / 2551 (1)सी0डी0/46-3-16-1000(77)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2

8- गार्ड फाइल

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-33/2016/ 2551सी0डी0/46-3-16-1000(77)/2015, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

(वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु)

गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के परिसर में स्थापित / संचालित गन्ना एवं चीनी आयुक्त, **उ0प्र0 के कार्यालय भवन से संबंधित कार्यो हेतु धनराशि का मदवार आवंटन**

अ- आवर्तक व्यय:-

क्र0 सँ0	विवरण	धनराशि (लाख रू0 में)
1	तीन लिफ्टों के वार्षिक अनुरक्षण तथा आपरेटर की सेवाओं हेतु	0.50
2	बहुमंजिला भवन एवं परिसर, न्यू स्कालर हास्टल भवन की सफाई, सैनिटेशन व्यवस्था एवं रख रखाव हेतु	2.00
3	स्थापित फायर फाइटिंग सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण एवं आपरेटर हेतु	3.50
4	बहुमंजिला भवन के बेसमेंट में स्थापित जनरेटर एवं न्यू स्कालर हास्टल भवन में लगे जनरेटर एवं फायर प्रोटक्शन इंजन के वार्षिक अनुरक्षण, डीजल एवं मरम्मत कार्यो हेतु	1.00
5	कार्यालय भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु	3.00
6	बहुमंजिला भवन, न्यू स्कालर हास्टल भवन में वाह्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण, इलेक्टिशियन का पारिश्रमिक, वाटर सप्लाई एवं सैनिटेशन का कार्य तथा उपरोक्त भवनों में माईनर सिविल कार्य एवं अन्य मरम्मत आदि हेतु	2.00
7	गन्ना आयुक्त कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर, फोटोस्टेट मशीनों के क्रय एवं वार्षिक अनुरक्षण तथा कन्ज्यूमेबिल मदों हेतु	1.50
8	कार्यालय प्रयोगार्थ कार किराया पद्धति एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 की कार संख्या-डी0एल0-07सी0-1389, यू0पी0-32 बी0जी03553 एवं यू0पी0-32 बी0जी0 6483 के ईधन एवं रखरखाव हेतु	1.00
9	कार्यालय में नेटवर्किंग इन्टरनेट, ब्राण्डबैण्ड सेवा तथा नेटवर्किंग के वार्षिक अनुरक्षण एवं कार्यालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाने हेतु	0.50
10	कार्यालय व्यय, इन्टीरियर डेकोरेशन, अतिथि कक्ष के रखरखाव, साज-सज्जा, जलपान, स्टेशनरी, विविध कार्य एवं आकस्मिक व्यय हेतु	5.00
	योग	**20.00**

(रूपया बीस लाख मात्र)

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in